कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर

पत्रांकः प–2–2015 / सीएफओ / बी0जे0आर0–54 / चॉदपुर–09 दिनांकः मई 15 ,2015

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
बिजनौर ।

विषयः मैसर्स इसार आयॅल लि0, नौरूडा को ग्राम – आजमपुर उर्फ रतनगढ अमरोहा से नूरपुर रोड थाना नूरपुर तहसील चॉदपुर जनपद बिजनौर के खसरा न0 147 में पैट्रोल / डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट)लगाने हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्राकः 1206 / बीस आयुध सहायक दिनांक 28–04–2015 के अनुपालन में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक / सन्दर्भित पत्र के अनुपालन एवं मैसर्स इसार आयॅल लि0, नौरूडा के आवेदन पत्र दिनांक निल के कम में प्रस्तावित स्थल के मानचित्र के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी बिजनौर द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया । श्री संजय शर्मा अग्निशमन अधिकारी बिजनौर की निरीक्षण ऑख्या दिनांक 14–05–2015 के अनुसार प्रस्तावित स्थल अमरोहा से नूरपुर जाने वाले 24 मीटर चौडे रोड पर स्थित है जॅहा तक फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ जा सकते है।

सम्बन्धित को निर्देशित किया कि ––

1– समस्त निर्माण अनुमोदित मानचित्र के अनुसार एवं नैशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के उपबन्धो के अधीन कराना सुनिश्चित करेगें।
2– धुम्रपान निषेध का पालन करेगें तथा इस आश्य की पटिटकाऐं जगह–जगह लगाना सुनिश्चित करेगें।
3– समस्त विद्युत वायरिगं एवं फिटिंग्स भारतीय मानक 2148 के अनुसार फ्लेमप्रूफ कराना सुनिश्चित करेगें एवं फ्लेमप्रूफ लाइटों का ही प्रयोग करेंगें ।
4– समस्त दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले लगवाना सुनिश्चित करेंगें।
5– अण्डर ग्राउंण्ड डीजल / पैट्रोल स्टोरेज टैंक की अर्थिग मानक के अनुरूप कराना सुनिश्चित करेगें।
6– प्रस्तावित रिलेट आउटलेट पर महत्वपूर्ण / आपातकालीन सेवा नम्बर एक बोर्ड पर अंकित कराना सुनिशिचित करेगे।
7– रिटेल आउटलेट प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित स्थल पर निम्न अग्निशामक व्यवस्था का प्रबन्ध कराना सुनिशिचित करेगे ।
   1–ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 के0जी0 – 10 अदद ।
   2–सैड फायर बकेट्स ––––––––– 10 अदद।
   3–फोम ट्राली क्षमता 45 के0जी0––– 01 अदद ।
   4–बालू 100 घनफिट का अतिरिक्त भडारण ।
   5–धुम्रपान निषेध का बोर्ड ।
   6–फायर सर्विस के नम्बर 101 , 265443 व 9454418552 का बोर्ड उपलब्ध है ।
8– उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रति वर्ष अग्निशमन विभाग से सत्यापन कराकर इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगें,
9– प्रस्तावित स्थल के आगे से निकली विधुत लाईन पर फट्टिया लगवाये तथा विधुत लाईन की इलेक्ट्रिक पोल लगवाकर गार्डिंग कराना सुनिश्चित करेगे ।
10– प्रस्तावित स्थल के आगे खडें पेडों को वनविभाग से अनुगति लेकर कटवाना सुनिश्चित करेगे ।

11– प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त रिटेल आउटलेट प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अग्निशमन व्यवस्था का सत्यापन अग्निशमन विभाग से कराना सुनिश्चित करेगें । तभी अनुमोदन अन्तिम माना जायेगा उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।

अतः उपरोक्त अनुबन्धो / व्यवस्थाओ को पूर्ण कराने की शर्त पर **मैसर्स इसार आयॅल लि0, नौरूडा** को ग्राम – आजमपुर उर्फ रतनगढ अमरोहा से नूरपुर रोड थाना नूरपुर तहसील चॉदपुर जनपद बिजनौर के खसरा न0 147 में पैट्रोल / डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) लगाये जाने पर अग्निशमन विभाग को आपत्ति नही है ।

संलग्नः अनुमोदित मानचित्र

(वी0 के0 सिहॅ)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद / बिजनौर

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक बिजनौर महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

2– मैसर्स इसार आयॅल लि0, नौरूडा को ग्राम – आजमपुर उर्फ रतनगढ अमरोहा से नूरपुर रोड थाना नूरपुर तहसील चॉदपुर जनपद बिजनौर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आक्समिक निरीक्षण के दौरान कोई भी अनियिमता पायी जाती है तो आपके विरूद वैधानिक कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी । आप की छोटी सी लापरवाही एक भंयकर अग्नि दुर्घटना को जन्म दे सकती है अतः इसके प्रति स्वयं जागरूक रहकर दुसरो को भी जागरूक करे ।

3– अग्निशमन अधिकारी बिजनौर जनपद बिजनौर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित की पत्रावली खोलकर उस को सुरक्षित रखेगे तथा समय–समय पर आक्समिक निरीक्षण करके यथा स्थिति का आकलन करते रहेगे आक्समिक निरीक्षण में यदि किसी प्रकार की अयनिमिता मिलती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करके यथा स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगे क्योकि आग से होने वाली क्षति व्यक्तिगत क्षति के साथ राष्ट्र की भी क्षति है जिसकी भरपाई किया जाना सम्भव नही है ।

(वी0 के0 सिहॅ)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद / बिजनौर